न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री दौलतराम चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 46/2020

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. ओमप्रकाश पुत्र नत्थाराम		1. अधिशाषी अभियन्ता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड नेशनल हाईवे 162 सोजत सिटी जिला पाली
2. काली देवी पत्नि नत्थाराम जातियान घांची निवासीगण सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान)		2. सहायक अभियन्ता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड काका चौराहा के पास सोजत सिटी जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री गजेन्द्र दवे एवं भगवती प्रसाद चौहान, अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।

2. प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— **दिनांक — 10.02.2021**

अधिवक्ता मय वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में बिलाडीया गेट के बाहर, पुरणेश्वर धाम के सामने बेरा ढावा की ढिमडी के खसरा नंबर 1720 रकबा 0.1100 हैक्टर की कृषि भूमि वादीगण के पिता/पति नत्थाराम पुत्र पुखाराम जाति घांची निवासी सोजत सिटी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। वादीगण के पिता नत्थाराम का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके वादीगण एवं रामलाल पुत्र नत्थाराम, जितेन्द्र पुत्र नत्थाराम विधिक उतराधिकारीगण है। उपरोक्त कृषि भमि पर वादीगण का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त निरन्तर बिना किसी बाधा के खुलम खुला शाश्वत रूप से चला आ रहा है। वादीगण की उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि में मेहन्दी की फसल बोई हुई है। जिसके सुरक्षा हेतु चारो तरफ कांटो की बाड की हुई है तथा वाद पत्र के साथ वादस्थ भूमि का एक नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें मार्क ए, बी, सी, डी वादस्थ कृषि भूमि है, उक्त नजरी नक्शा को वाद पत्र का अभिन्न भाग माना, पढा व समझा जावेगा। वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि के चिपके हुए दक्षिण दिशा में थानाराम की खातेदारी कृषि भूमि आयी हुई स्थित है तथा नजरी नक्शा में मार्क एक्स स्थान पर पिछले करीब 60—70 वर्षो से प्रतिवादीगण के विभाग द्वारा एक विद्युत ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिस ट्रांसफार्मर से आस पडौस की खातेदारी भूमि में विद्युत कनेक्शन दिये हुए है। जिस ट्रांसफार्मर से किसी भी आमजन को किसी प्रकार की परेशानी, बाधा इत्यादि नही है। उक्त ट्रांसफार्मर मैन रोड से करीब 10 फुट छोडकर तथा थानाराम की खातेदारी कृषि भूमि से करीब 7—8 फुट छोडकर लगा हुआ है। प्रतिवादीगण जानबूझकर वादीगण को नुकसान कारित करने एवं हैरान परेशान करने की बदनियति पूर्ण

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

आशय से विधि विरूद्ध तरीके से नजरी नक्शा में मार्क एक्स स्थान पर लगे हुए ट्रांसफार्मर को हटा कर वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि के चिपते हुए शिफ्ट किये जाने से एवं विद्युत पोल वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि में लगाये जाने से वादीगण वादस्थ कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करने से वंचित हो जावेगे तथा अपनी खातेदारी कृषि भूमि के अंदर प्रवेश नहीं कर पायेंगे तथा आम रास्ता संकडा हो जावेगा। जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न होगी एवं उक्त ट्रांसफार्मर वादीगण के खातेदारी कृषि भूमि के चिपते हुए लगाया जाने से वादी की खातेदारी कृषि भमि में करंट फैलने की संभावना होगी। प्रतिवादीगण द्वारा नजरी नक्शा मे मार्क एक्स स्थान पर विद्युत ट्रांसफार्मर जो करीब 60–70 वर्षो से लगा हुआ है, जिस ट्रांसफार्मर से आस पडौस की खातेदारी भूमि में विद्युत कनेक्शन दिये हुए है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को नुकसान कारित करने के आशय से वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि के चिपते हुए विधि विरूद्ध तरीके से बिना किसी अधिकार क्षेत्र के एवं बिना सद्भाविक आवश्यकता के उक्त ट्रांसफार्मर को मार्क एक्स स्थान से हटाकर मात्र 25 फुट की दूरी पर ही उसी ट्रांसफार्मर को पुनः वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि के चिपते हुए लगाने पर उतारू है, जिसे करने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 25.02.2020 को प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भमि खसरा नंबर 1720 के चिपते हुए ट्रांसफार्मर लगाने एवं वादी की खातेदारी कृषि भूमि में होते हुए विद्युत पोल लगाने पर उतारू हुए जिस पर वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण क़तई मानने को तैयार नही हुए। प्रतिवादीगण द्वारा यदि मार्क एक्स स्थान से विद्युत ट्रांसफार्मर हटाकर वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि के आगे चिपते हुए शिफ्ट कर दिया जाता है एवं विद्युत ट्रांसफार्मर वादीगण की खातेदारी भूमि में लगाकर विद्युत प्रवाहित किये जाने से जान माल का नुकसान होने का पूर्ण रूप से अंदेशा है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 25.02.2020 को वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि के चिपते हुए विद्युत ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने एवं खातेदारी कृषि भूमि के अंदर विद्युत पोल लगाये जाने पर उतारू होने पर वादीगण के द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत एक रजि नोटिस दिनांक 03.03.2020 को प्रतिवादीगण के सही पते पर प्रेषित किया गया जो रजिस्ट्रर्ड नोटिस प्रतिवादीगण को दिनांक 04.03.2020 को प्राप्त हो जाने के बावजूद भी प्रतिवादीगण द्वारा जानबूझकर वादीगण को नुकसान करने के आशय से नजरी नक्शा में मार्क एक्स स्थान से विद्युत ट्रांसफार्मर को बिना किसी सद्भाविक आवश्यकता के हटाकर वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि के चिपते हुए विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने एवं खातेदारी कृषि भूमि के अंदर विद्युत पोल लगाने पर उतारू है तथा प्रतिवादीगण ताबड तोड उक्त विधि विरूद्ध कृत्य करने में आमादा है। जिन्हे तत्काल रोका जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है अन्यथा वादीगण को अपरिमित क्षति कारित होगी, जिसका मूल्यांकन कदापि रूपयों पैसों मे नही आंका जा सकेगा। इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत होने से यह वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 25.02.2020 को वादस्थ भूमि के चिपते हुए विद्युत ट्रांसफार्मर लगाकर वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि के अंदर विद्युत पोल लगकार विद्युत प्रवाहित करने पर आमादा है। वादीगण द्वारा

उप खण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला-अजमेर) राज.

वाद प्रस्तुत करने के पश्चात यदि मार्क एक्स स्थान से ट्रांसफार्मर हटाकर वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि के चिपते हुए लगा दिया जाता है एवं विद्युत पोल वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि के अंदर लगा दिया जाता हैं तो निर्देशित कर पोल एवं ट्रांसफार्मर को आज्ञात्मक आज्ञा के जरिये हटवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा एवं आज्ञात्मक आज्ञा का पेश किया है। प्रतिवादीगण राजकीय अधिकारी होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है तथा राजकीय अधिकारी के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व दो माह की अवधि का धारा 80 सी. पी. सी. के तहत नोटिस दिये जाने के पश्चात वाद पेश किया जाता है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिनांक 03.03.2020 को प्रेषित किया गया था जो नोटिस प्रतिवादीगण को दिनांक 04.03.2020 को प्राप्त हो जाने के पश्चात भी प्रतिवादीगण द्वारा ताबड तोड तरीके एवं विधि विरूद्ध से वादस्थ स्थल पर ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने पर उतारू होने से वादीगण का वाद आवश्यक प्रकृति का होने से प्रतिवादीगण को दिये गये नोटिस की अवधि गुजरने से पूर्व ही धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत वाद पेश किया जा रहा है। जिस हेतु धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र अलग से पेश किया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण ने वाद पत्र मय शपथ पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर माफिकदावा वादीगण का वाद डिक्री किये जाने अर्थात वाद पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में मार्क एक्स स्थान पर लगे विद्युत ट्रांसफार्मर को हटाकर वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि का चिपते हुए लगाने से प्रति. को रोके जाने तथा एक्स स्थान पर लगे विद्युत पोल व ट्रांसफार्मर की यथास्थिति बनाये रखने तथा वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि में यदि लगाये जावे तो हटवाये जाने की ईश्तदुआ की हे। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति. जरिए सम्मन वास्ते ज.दा. तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 को बावजूद तामिली/सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 06.01.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रति. सं. 2 ने ज.दा. दिनांक 06.01.2021 को सहायक अभियन्ता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सोजत सिटी की ओर से किया कि विभाग को इस संबंध में जानकारी नही है। कृषि भूमि में मेहन्दी फसल बोई हुई है एवं कांटो की बाड की हुई है एवं भूमि का संलग्न नक्शा अनुसार ए बी सी डी कृषि भूमि है। वादीगण के खातेदारी कृषि भूमि के चिपतु हुये दक्षिण दिशा में श्री थानाराम की कृषि भूमि आई हुई है, इस संबंध में विभाग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह सही है कि संलग्न नक्शे के अनुसार मार्क एक्स स्थान पर जोधपुर डिस्कॉम का विद्युत ट्रांसफार्मर लगा हुआ है एवं कनेक्शन दिये हुये है। इस विद्युत ट्रांसफार्मर से आमजन को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। उक्त ट्रांसफार्मर सडक से लगभग 10 फुट एवं खातेदारी भूमि से लगभग 7 से 8 फुट की दूरी/छोडकर लगा हुआ है। इस ट्रांसफार्मर को एक्स स्थान से हटाकर अन्यत्र स्थान पर लगाने को विभाग के पास कोई आवेदन नहीं होने से कोई प्रस्ताव नही है। इस प्रकार बिन्दु सं. 4 से 8 के जबाब में अंकित किया कि एक्स स्थान पर लगे ट्रांसफार्मर को अन्यत्र शिफ्ट करने का कोई न तो प्रस्ताव बना हुआ है और न ही इस विभाग के किसी कर्मचारी/ठेकेदार (एजेन्ट) इस कार्य को करने हेतु मौके पर गया है एवं न ही उक्त ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने हेतु सूचित किया

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (पाली-पाली) राज.

गया है। जबाबदावा प्रति. सामिल मिसल किया गया है। बहस अधिवक्ता वादीगण एवं प्रति. सं. 1 व 2 उभय पक्षो को सुना गया। ज. दा. प्रति. सं. 1 व 2 में वर्णित तथ्यों अनुसार प्रस्तुतवाद प्रकरण में वाद कारण ही उत्पन्न नहीं होने से तनकियात कायम किये जाने की कोई आवश्यकता ही प्रतीत नही होती है। प्रस्तुत वाद –पत्र, ज. दा. एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। बहस उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र एवं ज. दा. आदि दस्तावेजात अनुसार वाद कारण ही उत्पन्न नही होने से वाद पत्र क्लीन हैण्ड से पेश नहीं किया गया है। फलतः पोषणीय नहीं होने से अधिवक्तामय वादीगण द्वारा उक्त वाद सारहीन तथ्यहीन एवं औचित्यहीन होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र क्लीन हैण्ड से पेश नहीं करने से तथा वाद–पत्र में वर्णित तथ्यो तथा ज. दा. अनुसार वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से वाद पोषणीय नहीं होने से वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मुर्तिब किया जाकर सामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भंडार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 को सर ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत